

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1373/2009/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एवं लिजिंग टेक्स, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पी.बी.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
15 नवरत्न कोम्प्लेक्स, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री श्याम बोकाडिया
अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13.08.2018


निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 4/ई.टी./2008-09/उदयपुर में राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टु लॉकल एरियाज एक्ट 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24 के तहत पारित आदेश दिनांक 28.07.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा माह अप्रैल 2004 से फरवरी 2005 तक की अवधि में फर्नेश आयल 4076438/-रुपये, एच.एस.डी. 6523347/-रुपये एवं आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स 852414/- कुल 11452199/- रुपये की खरीद राज्य के बाहर से सी-फार्म पर किये जाने एवं प्रवेश कर जमा नहीं कराने व ईटीएलए -3 11 माह विलम्ब से पेश किये जाने के कारण धारा 35 के तहत शास्ति रुपये 11000/- तथा ईटीएलए-5 भी विलम्ब से पेश करने के कारण शास्ति 1000/- रुपये कुल शास्ति 12000/- रुपये आरोपित की गयी। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एवं लिजिंग टेक्स, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 के वर्ष 2004-05 की अवधि का प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2008 को पारित में प्रत्यर्थी ने राज्य के बाहर से फर्नेश आयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्टर कीमतन रुपये 4076438/- रुपये 6523347/- व रुपये 852414/- पर फर्नेश आयल पर दिनांक 11.07.2004 तक रुपये 14056438/- पर 2 प्रतिशत की दर से कर रुपये 28118/- दिनांक 12.07.2004 के बाद रुपये 2670551/- पर 3 प्रतिशत की दर से कर 88117/- रुपये, एच.एस.डी. पर दिनांक 11.07.2004 तक 1 प्रतिशत की दर से रुपये 53410/- व दिनांक 12.07.2004 के बाद रुपये 1182348/- पर 3 प्रतिशत की दर से कर रुपये 35470/- व आयल एण्ड

लगातार.....2.



- लुब्रीकेन्टस पर दिनांक 11.07.2004 तक रूपये 304615/- पर कर 3046/- रूपये व दिनांक 12.07.2004 के बाद रूपये 547799/- पर 3 प्रतिशत की दर से कर रूपये 16434/- कुल कर 216595/- रूपये तथा देय कर जमा नहीं कराने पर ब्याज 173941/- रूपये कुल मांग राशि रूपये 402536/- आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.07.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज व शारित को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 28.07.2009 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
 4. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2008 का समर्थन करते हुए यह कथन कया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से क्रय कर लाये गये माल पर प्रवेश कर अदा नहीं किया गया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर व ब्याज का आरोपण विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.07.2009 द्वारा कर व ब्याज को अपास्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2009 को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनः बहाल किया जाकर अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
 5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2009 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा फर्नेश आयल, एचएसडी, आयल एण्ड लुब्रीकेन्टस का उपयोग होट मिक्स जिसमें बिटुमिन, रेत, गिट्टी आदि को मिक्स कर पेवर रोड बनाने के कारण में उपयोग किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा धारा 15 रा.बि.क.अ. के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के अनुसार कुल ठेके की कीमत पर कर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया गया है और यह देय कर के बदले भुगतान किया गया है।
 6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्नेश ऑयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्टस को विमुक्ति शुल्क के तहत नहीं मानते हुए करारोपण किया गया। अधिसूचना क्रमांक प.4(67)एफडी/टैक्स/2004-33 दिनांक 12.07.2004 के अनुसार राज्य में कर चुका होने की शर्त पूर्ण हो जाने पर किसी प्रकार के प्रवेश कर का दायित्व नहीं होगा। उक्त अधिसूचना के एन्ट्री नं. 9 में फर्नेश आयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्टस अंकित है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कर चुका देने के शर्त पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं होगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ई.सी. लिये जाने के




लगातार.....3.

बावजूद फर्नेश आयल, एच.एस.डी, आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स की खरीद पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का आरोपण करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जो निम्न प्रकार हैं:-

1. Supreme Court of India Civil Appeal No 7256 of 2005 State of U.P. and Other Vs. P.N.C, Construction Co. Ltd and Other dated August 8, 2007
2. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय मैसर्स नवनीत इन्जीनियर्स उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर निर्णय दिनांक 18.11.2011
3. अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर बनाम मैसर्स भवन पथ निर्माण (बोहरा) एण्ड कम्पनी, बाडमेर निर्णय दिनांक 28.05.2003

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ईटीएलए-3 एवं ईटीएलए-5 प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 35 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 17 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया जबकि धारा 17 को तीन वर्ष पूर्व से संशोधित कर दिया गया है। नवीन प्रावधान दिनांक 20.05.2005 से लागू होने से अधिसूचना क्रमांक F-4(67)FD /TAX/2004-91 दिनांक 09.08.2004 से केवल ब्याज दिनांक 04.08.2004 से 12 प्रतिशत की दर से आरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 17 के तहत ब्याज का आरोपण किया जाना अविधिक व अवैधानिक है। अतः प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपास्त करने तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2009 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।


7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।
8. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अवार्डेड संविदा कार्य हेतु अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के अनुसार कुल संविदा की कीमत पर विमुक्ति शुल्क विकल्प लेकर विमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। संविदा कार्य में उपयोग हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि 2004-05 के दौरान फर्नेश ऑयल, एच. एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स का राज्य के बाहर से आयात किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्नेश ऑयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स को विमुक्ति शुल्क के तहत नहीं मानते हुए करारोपण किया गया। अधिसूचना क्रमांक प. 4(67)एफडी/टैक्स/2004-33 दिनांक 12.07.2004 के अनुसार राज्य में कर चुका होने की शर्त पूर्ण हो जाने पर किसी प्रकार के प्रवेश कर का दायित्व नहीं होगा। उक्त अधिसूचना के एन्ट्री नं. 9 में फर्नेश आयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स



लगातार.....4.

अंकित है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कर चुका देने के शर्त पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं होगा।

9. वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य में उपयोग हेतु आलौच्य अवधि 2004-05 के दौरान फर्नेश ऑयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स का राज्य के बाहर से आयात किया गया। व्यवहारी द्वारा कुल संविदा की कीमत पर विमुक्ति शुल्क (E.C.) विकल्प लेकर विमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार अधिसूचना क्रमांक प.4(67)एफडी/टैक्स/2004-33 दिनांक 12.07.2004 के अनुसार व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये फर्नेश आयल, एच.एस.डी. आयल एण्ड लुब्रीकेन्ट्स, पर ई.सी. के तहत कर की एवज में (In lieu of tax) राज्य में देय कर चुका देने के कारण प्रवेश कर का दायित्व नहीं होने से उसका आरोपण विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर एवं ब्याज को अपास्त किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है।
10. जहां तक वार्षिक विवरण प्रपत्र ईटीएलए-3 व ईटीएलए-5 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने का प्रश्न है, उसके संबंध में अपीलार्थी विभाग का यह कथन रहा है कि उक्त विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधि सम्मत है, जबकि व्यवहारी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दोनों प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा उक्त प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किए गए जिस बावत् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी की ओर से शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व विशिष्ट नोटिस नहीं दिये जाने के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किया गया। शास्ति के आरोपण से पूर्व विशिष्ट नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।
11. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2009 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2008 को अपास्त किया जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि किये जाने योग्य है तथा राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. परिणामस्वरूप राजस्व/विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2009 की पुष्टि की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य